

#BiharTransportDept

परिवहन विभाग

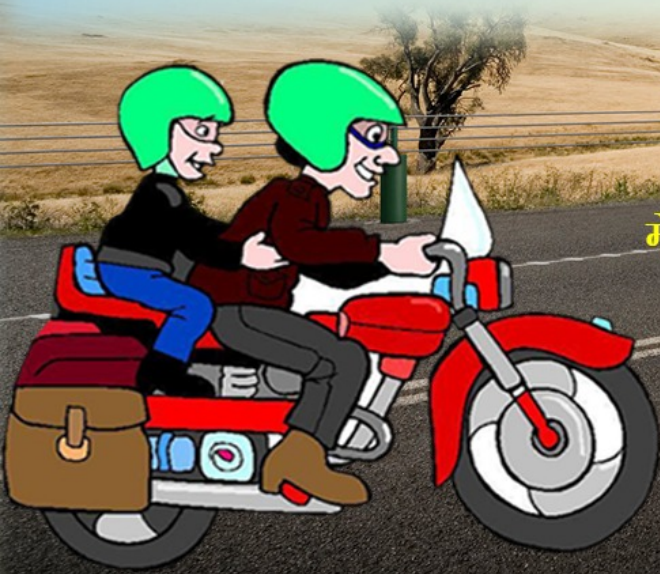


बिहार सरकार



दो पहिया वाहन के चालक तथा पिछली सवारी
के द्वारा हेलमेट पहनना अनिवार्य है ।

इस नियम का उल्लंघन करने वाले प्रथम अपराध के लिए 100 रुपये एवं पश्चातवर्ती अपराध के लिए 300 रुपया के दण्ड के भागी होंगे ।



मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 एवं मोटर वाहन
नियमावली 1989 के नियम 138 (3)

हेलमेट पहने सर के ऊपर,
जिंदगी जिये खुश हो कर।



BiharTransportDept



BiharTransportDept

